



2026:AHC:25866-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2637 / 2026

श्रीमती संगीता देवी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुधीर कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों की सूची में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. प्रस्तुत रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रतिवादी संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को गिरफ्तार करने का आदेश दे, जो थाना- बांसगाँव, जनपद- गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 647 / 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 352, 351(3) बी.एन.एस., 2023 से उत्पन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 में नामजद अभियुक्त हैं।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रतिवादी संख्या 3 को थाना- बांसगाँव, जनपद- गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 647 / 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 352, 351(3) बी.एन.एस. (BNS), 2023 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे।

(iii) ऐसा कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित और उपयुक्त समझे।

(iv) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च दिलाया जाए।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. 07.11.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकती हैं। यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/ प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

5 फरवरी, 2026

जफर

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"